



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
पोस्ट-फाटोडा, मडगाँव, दक्षिण गोआ 403602

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES
OFFICE OF REGIONAL CONTROLLER OF MINES
P.O. Fatorda, Madgao, South Goa – 403602

संख्या: महा/सिन्धु/एफ.ई.-46/गोवा

खानकोड 30MSH28029

दिनांक : 13-04-2016

सेवामें

श्री संदीप श्रीवास्तव, भागीदार एंव खान मालिक,
मिनरल्स एंड मेटेल्स,
34, आशुतोष, नेपियन सी रोड, मुम्बई-400036

विषय: महाराष्ट्र राज्य के सिन्धुदुर्ग जिले के जोडामार्ग तालुका में स्थित आपकी कलने लोह अयस्क खान 32.25 हेक्टेयर में खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16.03.2016 को श्री सुरेश कुलाल, उपाध्यक्ष और श्री टी वी विश्वनाथप्पा, खान प्रबन्धक की उपस्थिति में उपरोक्त खान का निरीक्षण में खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन पाया गया था।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
13(1)	The mining operations in the lease area are not carried out as per approved scheme of mining and following deviations are observed during inspection. a) It was proposed in Para 4.2 and Plate-6 to drill 12 boreholes and 5 boreholes during 2014-15 and 2015-16 respectively in remaining western part of lease area beyond UPL to know existence of iron ore. It is observed during the inspection that 19 boreholes were drilled during 2014-15 in the central part of lease area partly within UPL to further confirm ore body and partly beyond UPL, which is not as per proposal.
45(5)(b)	It is observed on scrutiny of office records that online Annual returns of the mine for the year 2014-15 have been submitted in Form-H-1 with following short comings. a) Part III-2.0: Depreciation on fixed assests is indicated as ₹ 12,40,00,000/-; but details of fixed assests under land, building, plant, machineries, capatalised expenditure and depreciation on these heads are kept blank. Diesel and lubricant consumption is given. b) The online return is submitted in the name of Shri Anil Raghunath Patil, Jr. Geologist, who is not owner, agent, mining engineer or manager of mine. c) Mineral reject is a part of ROM material and you have processed total 737681t of ROM production along with 27456.48t of opening stock of ROM for grade-wise production of 167974t lumps & 597163t fines of below 55% Fe. It is clear from ROM & grade-wise table that there is no reject generation. However, generation of 564,607t of mineral reject of 36% Fe as well as 564,607t of OB generation is indicated in Part-V-4.2(B). d) The cumulative quantity of OB generation is reported as 634519t; which does not looks correct with size of pit, number of OB benches in pit, existing waste dumps size and backfilled waste quantity since beginning of mining operations.

02. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध हैं।
03. उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एंव विकास नियमावली, 1988 के नियम 13(2) के अन्तर्गत खान में सभी खनन संक्रियाए बन्द की जा सकती है।
04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एंव इसके सुधार की स्थिती की जानकारी इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियंत्रक

प्रतिलिपी सूचनार्थ : 1. खान नियंत्रक (द. आ.) भारतीय खान ब्यूरो, बैंगलूरु

2. निदेशक, भूविज्ञान एंव खान विभाग, खनिज भवन, शिवाजी नगर, प्लोट नम्बर-27, सिमेंट रोड, नागपुर- 440010

3. जिला खनन अधिकारी, मुख्य प्रशासनिक इमारत, तल मंजला, दालन न. 122, खनिकर्म शाखा, आरोस, सिन्धुदुर्गनगरी-416812

(गिरीश कुमार जांगिड)
उप खान नियंत्रक